रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253014 CG-DL-E-14032024-253014

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

संख्या 04/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 198(अ).— जब कि कोरिया जनवादी गणराज्य, सिंगापुर और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "पारा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)" (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2907 19 40 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023, जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

- (i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;
- (ii) विषयगत माल की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना धीमी हो गई है;

1944 GI/2024 (1)

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है.

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2907 19 40	पारा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल (पीटीबीपी)	कोरिया जनवादी गण राज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	एसआई ग्रुप कोरिया लिमिटेड	208	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	(1) के अलावा अन्य उत्पादक	357	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई भी	357	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत कोई भी देश	एसआई ग्रुप आईएनसी.	790	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत कोई भी देश	(4) के अलावा अन्य उत्पादक	881	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	कोई भी	881	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर समेत कोई भी देश	कोई भी	349	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिंगापुर के अलावा कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	349	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अविध के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वहीं दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/24/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

No. 04/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 198(E).—Whereas, in the matter of "Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2907 19 40 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Korea RP, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 6/14/2022-DGTR, dated the 20th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th December, 2023, has come to the conclusion, *inter alia* that-

- (i) the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India:
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2907 19 40	Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)	Korea RP	Any country, including Korea RP	SI Group Korea Ltd.	208	МТ	USD

2	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than (1)	357	-do-	-do-
3	-do-	-do	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	Korea RP	Any	357	-do-	-do
4	-do-	-do-	USA	Any country including USA	SI Group Inc.	790	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	USA	Any country including USA	Any producer other than (4)	881	-do-	-do-
6.	-do-	-do	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	USA	Any	881	-do-	-do-
7.	-do-	-do	Singapore	Any country including Singapore	Any	349	-do-	-do-
8.	-do-	-do	Any country other than Korea RP, USA and Singapore	Singapore	Any	349	-do-	-do

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/24/2024-TRU Section-CBEC]
NITISH KARNATAK, Under Secy.